No. 317-01/2012-STG III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road, New Delhi 110001

Dated: 17th July, 2013

ORDER

Subject: Non-functional up-gradation of Shri Vinod Prakash (Staff No. 676) in HAG of ITS group-A w.e.f. 01.04.2013.

The President is pleased to grant Non-functional up-gradation to **Shri Vinod Prakash (Staff No. 676)**, an officer of ITS Group-A in the HAG scale of ₹ 67,000-79,000/- w.e.f. 01.04.2013, in terms of D/o Personnel & Training OM No. AB.14017/47/2011-Estt. (RR) dated 01.08.2012.

2. On Non-functional up gradation, there will be no change in the place of posting of Shri Vinod Prakash and he will continue to remain in his present place of posting.

3. In accordance with DoP&T OM No. AB 14017/64/2008-Estt. (RR) dated 24th April 2009:

I. The up-gradation granted under these orders are purely non-functional up-gradation, personal to the officer and it does not bestow any right to the officer to claim promotion or deputation benefits based on non-functional up-gradation in such a manner.

II. Pay fixation on grant of non-functional up-gradation under these orders has to be done as per the provisions of CCS (RP) Rules, 2008. At the time of regular promotion to this grade, the pay need not be fixed again for the officers who have been granted up-gradation under these orders.

4. The above promotion order is being issued after obtaining the vigilance clearance from the Vigilance branch, DoT HQ. However, in case it comes to the notice of the Controlling Authority that any disciplinary/prosecution case is pending against the officer or the officer is under suspension, or any punishment of stoppage of increment etc is in operation against the officer, he should not be promoted without obtaining the specific approval of this Department. Information in this regard may be brought to the notice of the Department forthwith.

17/7/2013

(N R Bishnoi)
Director (Staff)
Tel – 23036645/Fax-23372560

No.317-01/2012-STG-III **Dated: 17th July 2013**

Copy to:

1. PS to MOC&IT/MOS(C&IT)(D)/ Chairman (TC)
2. Member (S)/(T), Advisor (T)/(O), DoT
3. CMD, BSNL/MTNL, New Delhi
4. DDG (Estt.) /Director (Staff)/US (SGT) DoT
5. Officer concerned/CAO concerned.
6. CA to Advisor (HRD),DoT/ AAO (STG- I), DoT
7. Order bundle
8. Director (IT) for uploading the same on DoT Website

17/7/13

(R C Ahuja)
Under Secretary to the Government of India
Tel.: 23036876

सं 317-01/2012-एस टी जी -III

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 अशोका रोड, नई दिल्ली 110001

दिनांक : 17 जुलाई, 2013

आदेश

विषय : दिनांक 01.04.2013 से भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड मे श्री विनोद प्रकाश (स्टाफ सं. 676) का गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन।

राष्ट्रपति भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री विनोद प्रकाश (स्टाफ सं. 676) को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के के कार्यालय ज्ञापन सं. ए बी 14017/47/2011-स्थापना (आर आर), दिनांक 01.08.2012 के अनुसार, 01.04.2013 से उच्च प्रशासनिक ग्रेड के ₹67,000-79,000/- के वेतनमान मे गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन प्रदान करते हैं।

2. श्री विनोद प्रकाश के गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन होने पर उनके पदस्थापना के स्थान मे कोई बदलाव नहीं होगा और वे अपने वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर बने रहेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 अप्रैल 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए बी 14017/64/2008-स्थापना (आर आर) के अनुसार:-

I. इन आदेशो के तहत प्रदान किया गया उन्नयन पूर्णतः गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन है और अधिकारी के लिए वैयक्तिक है तथा यह अधिकारी के इस प्रकार से गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन के आधार पर उन्हे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति लाभों का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

II. इन आदेशो के तहत गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन प्रदान किए जाने पर इन अधिकारियों के वेतन का निर्धारण केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आर पी) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अधिकारी, जिन्हे इन आदेशो के तहत उन्नयन प्रदान कर दिया गया हैं, उनकी इस श्रेणी मे नियमित पदोन्नति के समय पुनः वेतन निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. उपरोक्त गैर प्रकार्यात्मक उन्नयन आदेश सतर्कता शाखा, दूरसंचार विभाग मुख्यालय से सतर्कता निकासी प्राप्त करने के पश्चात जारी किया जा रहा है। तथापि, यदि नियंत्रण अधिकारी को यह पता चलता है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक/ अभियोजन मामला लंबित है अथवा, अधिकारी निलंबनाधीन या उसकी वेतन वृद्धि इत्यादि रोके जाने संबंधी कोई कार्यवाही उसके खिलाफ चल रही है, तो उसे विभाग के विशिष्ट अनुमोदन के बगैर पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए। इससे संबंधित सूचना तत्काल विभाग के आलोक मे लायी जाए।

17/7/2013

(एन आर विश्नोई)

निदेशक (अमला)

दूरभाष सं. 23036645 फ़ैक्स -23372560

सं 317-01/2012-एस टी जी –III

दिनांक : 17 जुलाई, 2013

प्रति सेवा मे,

1. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री/संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डी)/अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग) के निजी सचिव
2. सदस्य (सेवाएं)/(तकनीक), सलाहकार (तकनीक)/(प्रचालन), दूरसंचार विभाग
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भा सं नि लि/ म दू नि लि, नई दिल्ली
4. उप महानिदेशक (स्थापना)/निदेशक (अमला)/अवर सचिव (एस जी टी), दूरसंचार विभाग
5. संबद्ध अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी .
6. अवर सचिव (सतर्कता-II)/ सलाहकार (एचआरडी), दूरसंचार विभाग के गोपनीय सचिव/ सहायक लेखा अधिकारी (एस टी जी-I), दूरसंचार विभाग
7. आदेश बंडल
8. निदेशक (आई टी), इस आदेश को दूरसंचार विभाग के वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए

17/6/13

(आर सी अहूजा)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष सं. 23036876